भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1273

उत्तर देने की तारीख : 25 नवम्बर, 2019

प्राचीन भारतीय लोक संस्कृति का संरक्षण

1273. श्री अजय निषाद :

श्रीमती रंजीता कोली :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर भारतीय पारंपरिक लोक संस्कृतियां लुप्त हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राजस्थान सहित देश की किन-किन प्राचीन लोक संस्कृतियों को संरक्षित किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का भारतीय लोक कलाओं और संस्कृति के पुनरुद्धार और संरक्षण हेतु ठोस नीतियां बनाने का विचार है और यदि हां, तो इन लोक संस्कृतियों के संरक्षण हेतु कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है और उक्त कार्य किन योजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे हैं तथा कौन-कौन से स्थान उक्त लोक संस्कृति से संबंधित हैं;

(घ) सरकार द्वारा कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और लोक कलाकारों के लिए कार्यान्वित प्रोत्साहन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त लोक संस्कृति के संरक्षण हेतु स्वीकृत/जारी निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(क) से (घ) : सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक ऐसा कोई औपचारिक अध्ययन संचालित नहीं किया गया है। तथापि, राजस्थान सहित देश की प्राचीन लोक संस्कृति के परिरक्षण के लिए सरकार द्वारा सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेडसीसी) की स्थापना की गई है जिनके मुख्यालय पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में स्थित हैं। इन जेडसीसी का मुख्य उद्देश्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न पारंपरिक, लोक कलाओं और संस्कृति का संरक्षण, प्रोत्साहन और परिरक्षण करना है।

जेडसीसी द्वारा राजस्थान राज्य सहित देश भर में अब तक विभिन्न लोक गीतों, नृत्यों और अन्य कला रूपों को संरक्षित किया गया है, जैसे - मध्य प्रदेश का गणगौर नृत्य; गोवा का लोक नृत्य; राजस्थान का भावई, कालबेलिया नृत्य और ढोला मारू; पंजाब का गिद्धा लोक नृत्य; हिमाचल प्रदेश का महासु नृत्य, केरल का बाघ नृत्य; आंध्र प्रदेश का बर्रा कथा और धिम्सा; तेलंगाना का सुरभि नाटकम; आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक का हरिकथा; ओडिशा का डंडा नृत्य और छाऊ नृत्य; छत्तीसगढ़ का धांकुल गीत आदि।

इन जेडसीसी द्वारा लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने हेतु देश भर में आमंत्रित किया जाता है जिसके लिए जेडसीसी द्वारा उन्हें टीए/डीए, मानदेय, आवास और भोजन, स्थानीय परिवहन आदि का भुगतान किया जाता है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन ये जेडसीसी लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक स्कीमें संचालित कर रहे हैं जिसके ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ड.) : विगत तीन वर्षों के दौरान सात जेडसीसी को संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियां निम्नानुसार हैं :

(लाख रुपए में)

वर्ष	**जारी निधियां**
2016-17	6085.07
2017-18	4689.71
2018-19	5952.69

अनुलग्नक

दिनांक 25 नवम्बर, 2019 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1273 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

जेडसीसी द्वारा संचालित की जा रही स्कीमें

i. **युवा प्रतिभाशाली कलाकारों को पुरस्कार प्रदान करना :** ''युवा प्रतिभाशाली कलाकार'' नामक इस स्कीम को दुर्लभ कला रूपों के क्षेत्र में विशेषकर युवा प्रतिभावान कलाकारों को प्रोत्साहित करने और उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए संचालित किया जाता है। 18-30 वर्ष के आयु समूह के प्रतिभावान युवा कलाकारों का चयन किया जाता है और उन्हें 10000/- रुपए का एक मुश्त नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

ii. **गुरू-शिष्य परंपरा स्कीम:** इस स्कीम में हमारी मूल्यवान परंपराओं को भावी पीढ़ियों को अंतरित करने का प्रावधान किया गया है। शिष्यों को दुर्लभ और विलुप्त हो रहे कला रूपों में अनुभवी गुरूओं के द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। क्षेत्र के दुर्लभ और विलुप्त प्राय कला रूपों की पहचान की जाती है और 'गुरूकुल' परंपरा में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए प्रसिद्ध प्रतिपादकों का चयन किया जाता है। एक स्कीम के लिए छह माह से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक गुरू को 7500/- रुपए, संगतकार को 3750/- रुपए और शिष्य को 1500/- रुपए का मासिक पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। गुरूओं के नामों की सिफारिश राज्य सांस्कृतिक कार्य विभागों द्वारा की जाती है।

iii. **रंगमंच नवीनीकरण स्कीम :** मंच प्रस्तुतियों और निर्माण अभिमुखी कार्यशालाओं आदि सहित रंगमंच कार्यकलापों को संवर्धित करने के लिए टीए और डीए को छोड़कर प्रति शो 30,000/- रु. तक मानदेय प्रदान किया जाता है। इन समूहों को इनके परिचय के साथ-साथ इनके द्वारा प्रस्तुत परियोजना की गुणवत्ता के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है।

iv. **अनुसंधान एवं प्रलेखन स्कीम :** संगीत, नृत्य, रंगमंच, साहित्य, ललितकला आदि के क्षेत्र में लोक, जनजातीय एवं शास्त्रीय सहित विलुप्त हो रहे दृश्य एवं मंच कला रूपों को प्रिंट/श्रव्य-दृश्य मीडिया में परिरक्षित, संवर्धित और प्रसारित करना। राज्य सांस्कृतिक विभाग के परामर्श से कला रूप को अंतिम रूप दिया जाता है।

v. **शिल्पग्राम स्कीम :** सेमिनार, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों, शिल्पकला मेलों के आयोजन द्वारा क्षेत्रीय लोक एवं जनजातीय कला तथा शिल्प कला का संवर्धन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले शिल्पकारों को अभिकल्प विकास और विपणन सहायता प्रदान करना।

vi. **ऑक्टेव :** अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा नामक आठ राज्यों वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र से लेकर शेष भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन और प्रसार करना।

vii. **राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (एनसीईपी) :** इसे क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की जीवन रेखा के रूप में उल्लिखित किया जा सकता है। इस स्कीम के अंतर्गत सदस्य राज्यों में मंचकलाओं, प्रदर्शनियों, यात्राओं आदि से संबंधित विभिन्न महोत्सव आयोजित किए जाते हैं। अन्य क्षेत्रों/राज्यों से कलाकारों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। देश के अन्य भागों में आयोजित होने वाले महोत्सवों में इस क्षेत्र के कलाकारों को भी भाग लेने के लिए सुविधा प्रदान की जाती है। क्षेत्रीय केंद्र सदस्य राज्यों में होने वाले प्रमुख महोत्सवों में भी, इन महोत्सवों के दौरान कला प्रस्तुतियों का प्रबंधन

करते हुए भाग लेते हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रोतागण को अन्य क्षेत्रों के कला रूपों का आनंद लेने और इन्हें समझने का अवसर प्राप्त होता है। ये महोत्सव हमारे देश की विभिन्न संस्कृतियों का आनंद लेने और उन्हें समझने का अवसर प्रदान करते हैं।